

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक—556 / 2010
संस्थित दिनांक—23 / 07 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

फगनसिंह पिता महेश धुर्वे उम्र—29 वर्ष,
निवासी—धोपघट, थाना बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—16 / 01 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—29.06.2010 को समय 2:00 बजे स्थान ग्राम हाडाटोला देवगांव से आगे दमोह भिडोरी पक्की रोड पर थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.1134 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर रोड के किनारे उंची मिट्टी पर ट्रैक्टर को ठोस मारकर ट्रैक्टर की ट्राली में बैठे आहत सोहद्रा को साधारण उपहति तथा आहत मंगलू को घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना आरोपी ने दिनांक—29.06.2010 को समय 2:00 बजे स्थान ग्राम हाडाटोला देवगांव से आगे दमोह भिडोरी पक्की रोड पर थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.1134 को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुये ढलान एवं मोड़ पर रोड़ के किनारे उंची मिट्टी में ठोस मारकर पलटा दिया, जिससे उक्त वाहन की ट्राली में बैठे आहत मंगलू और सोहद्रा को चोट आयी। आहतगण को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा में भर्ती किया गया। शासकीय अस्पताल द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से थाना बिरसा में सूचना दी गई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना बिरसा में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—73/2010, धारा—279, 337 भा.द. वि. एवं धारा 183, 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया,

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत मंगलू की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-29.06.2010 को समय 2:00 बजे स्थान ग्राम हाडाटोला देवगांव से आगे दमोह भिडोरी पक्की रोड पर थाना बिरसा, जिला बालाघाट अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1134 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर रोड के किनारे उंची मिट्टी पर ट्रेक्टर को ठोस मारकर ट्रेक्टर की ट्राली में बैठे आहत सोहद्रा को उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत मंगलू को घोर उपहति कारित किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत मंगलू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को जब वह अपनी लड़की के घर जा रहा था तो रास्ते में ट्रेक्टर मिला तो वह अपनी पत्नी सुहद्राबाई के साथ बैठ गया था। वह नहीं बता सकता कि उक्त ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। ट्रेक्टर तेज गति से चल रहा था तथा पत्थर से टकराकर रोड के साईड में उतर गया था, जिससे वह ट्रेक्टर के बाहर छिटक गया था और सीमेंट की बोरी उसके उपर गिर गई थी। उक्त दुर्घटना में उसके कमर पर चोट आयी थी। उसका ईलाज बिरसा तथा बालाघाट अस्पताल में हुआ था। वह ट्रेक्टर के मालिक का नाम नहीं जानता। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि, उक्त वाहन का चालक ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जिस गति से अन्य ट्रेक्टर चलते हैं। उसी गति से उक्त ट्रेक्टर चल रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ट्रेक्टर पत्थर पर आने से पलट गया था और वह नहीं बता सकता कि चालक ट्रेक्टर को कैसे चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के कथन परस्पर विरोधाभासी है। साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। इस

प्रकार स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी साक्षी ने आरोपी की चालक के रूप में पहचान न करते हुए अभियोजन का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— आहत सोहद्राबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह, अपने पति मंगलू के साथ गिडौरी अपने लडकी के घर जा रहे थे तभी रास्ते में एक ट्रेक्टर मिला जो गिडौरी जा रहा था, जिसमें वे लोग बैठ गये थे। जब ड्रायवर ट्रेक्टर को लहराने लगा तो उसने बोली की हमें उतार दो पैदल चले जायेंगे। आगे जाकर ट्रेक्टर कैसे हुआ, उसे पता नहीं और वह नीचे गिर गई थी, जिससे उसके जांघ में, सीने में तथा मस्तक पर चोट आयी थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा तथा बालाघाट में हुआ था। ट्रेक्टर कौन चला रहा था, उसे नहीं मालूम। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि, घटना के समय हाजिर न्यायालय आरोपी ट्रेक्टर को चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जिस गति से अन्य ट्रेक्टर चलते हैं, उसी गति से घटना के समय ट्रेक्टर चल रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त वाहन को आरोपी नहीं चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं। साक्षी ने घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। इस प्रकार स्वयं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी साक्षी ने आरोपी की चालक के रूप में पहचान न करते हुए अभियोजन का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— घनश्याम रामटेके (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना करीब 8 वर्ष पूर्व की है। वह आहतगण को जो दमोह अस्पताल में भर्ती थे, उनको लेकर बिरसा अस्पताल गया गया था। वह आहतगण को शासकीय अस्पताल बिरसा पुलिस वालों के कहने पर लेकर गया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने यह बताया था कि उसके द्वारा उक्त दुर्घटना कारित की गई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्घटना कैसे हुई इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी के कथन अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— महेन्द्र बिहारे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा आहतगण को नहीं जानता। घटना करीब देढ़-दो वर्ष पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में जानकारी मिली थी कि किसी बूढ़े व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उसे चोट आयी है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने फोन करके यह सूचना उसे दी थी कि उसके ट्रेक्टर का एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेक्टर में बैठे आहत मंगलू और सुभद्रा को चोट आई है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 एवं नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी के कथन अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— दिलीप (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे लगभग 22 वर्ष से ट्रेक्टर चलाने एवं सुधारने का अनुभव है। उसके द्वारा दिनांक-01.07.2010 को आयसर कम्पनी के ट्रेक्टर का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त ट्रेक्टर में उसने टूट-फूट होना पाया था, जिसका विस्तृत वर्णन उसके द्वारा प्रदर्श पी-13 की रिपोर्ट में क्रमांक-1 से 13 में दिया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह जब अपने काम से थाने गया था तो पुलिस के कहने पर उसने परीक्षण प्रतिवेदन लिखकर दिया था। साक्षी के कथन अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-29.06.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होते हुए पुलिस द्वारा पेश करने पर आहत मंगलू एवं सोहद्रा की चोटों का परीक्षण किया था। उसने आहत मंगलू के चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर चोटों के निशान नहीं थे, किन्तु आहत द्वारा कमर में दर्द होने की शिकायत करने पर अंदरूनी चोट होने की संभावना को देखते हुये अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास एक्सरे एवं उपचार हेतु रिफर किया गया था। आहत सोहद्रा की चोटों का परीक्षण करने पर उसने आहत को आयी चोट किसी कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। आहत को हेड इंज्युरी होने की संभावना को देखते हुये एक्सरे एवं अभिमत हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक के पास रिफर किया गया था। उक्त आहतगण की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 है तथा आहत सोहद्राबाई की बेडहेड टिकट प्रदर्श पी-6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— डॉक्टर डी.के.राउत (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक-19.07.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। डाक्टर समद द्वारा आहत को एक्सरे हेतु रिफर किये जाने पर दिनांक-01.07.2010 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन द्वारा आहत मंगलू के बांये कंधे का एक्सरे किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-2802 है। उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण किये जाने पर उसने आहत के शरीर पर अस्थि भंग होना पाया था। उक्त एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दोनों चिकित्सीय साक्षीगण के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत मंगलू एवं सोहद्रा को दुर्घटना के कारण साधारण एवं घोर उपहति कारित हुई थी।

12— अनुसंधानकर्ता धनराज नंदा (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.06.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय अस्पताल बिरसा की अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी-8 कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जांच कर मनीष अग्रवाल के ट्रेक्टर

चालक आरोपी फगनसिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-73/10, धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-183, 184 मो.व्ही.एक्ट का प्रदर्श पी-9 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक-30.06.2010 को महेन्द्र की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। उसके द्वारा साक्षी मंगलू, सोहद्राबाई, घनश्याम, मधु विहारे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-10 के अनुसार एक ट्रेक्टर ट्राली सहित क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी से साक्षियों के समक्ष वाहन के दस्तावेज एवं आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा चालान के साथ घटना स्थल की फोटो संलग्न किया गया है। आहत को फ्रेक्चर होने से उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। महत्वपूर्ण साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में स्थिर नहीं रहे हैं। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से मात्र यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कथित दुर्घटना में आहत मंगलू को घोर उपहति एवं आहत सोहद्रा को साधारण उपहति कारित हुई थी, किन्तु यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि उक्त उपहति आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन के उतावलेपन उपेक्षापूर्वक चालन के कारण कारित हुई थी। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

14- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1134 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन से टक्कर मारकर आहत मंगलू को घोर उपहति एवं आहत सोहद्रा को साधारण उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

15- आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.1134 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार घनश्याम अग्रवाल पिता रामेश्वर अग्रवाल निवासी दमोह थाना बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट